भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *378
जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2023, चैत्र 6, 1945 (शक) को उत्तर दिया जाना है।

जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर

***378. श्री श्रीधर कोटागिरि:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का माल और सेवा कर (जीएसटी) उपकर व्यवस्था की अवधि बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभावों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों की समुचित वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में किए जा रहे विभिन्न उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग) :- विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>लोक सभा में दिनांक 27 मार्च, 2023, चैत्र 6, 1945 (शक) को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 378 के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) से (ग) :- संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अनुसार, माल और सेवा कर के लागू होने के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि के लिए पाँच वर्ष की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति देय है। संक्रमण काल के दौरान, राज्यों का राजस्व, 2015-16 के आधार वर्ष राजस्व पर 14% प्रतिवर्ष की दर से संरक्षित है। केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पांच वर्ष के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है।

संसद द्वारा अधिनियमित, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के प्रावधानों के अनुसार, किसी राज्य को देय क्षतिपूर्ति की अनंतिम गणना की जाएगी और प्रत्येक दो माह की अवधि के अंत में जारी की जाएगी, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम रूप से इसकी गणना की जाएगी। भारत सरकार ने माल और सेवा कर के लागू होने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को पांच वर्ष के लिए अर्थात 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक अनंतिम रूप से स्वीकार्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि पहले ही जारी कर दी है। हालांकि, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 12 (घ) के अनुसार, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, दिनांक 24.06.2022 की अधिसूचना संख्या 1/2022-क्षतिपूर्ति उपकर को जारी किया गया है ताकि जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मिलान किए गए आंकड़ों के आधार पर पिछले वित्त वर्ष के बकाया के भुगतान के एवज में राज्यों को 2020-21 और 2021-22 में जारी किए गए एक के बाद एक जारी ऋण की राशि को चुकाने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की उगाही और संग्रहण को मार्च, 2026 तक जारी रखा जा सके।

सरकार ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर कर-आधार में वृद्धि करने तथा कर अनुपालन में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। मासिक सकल जीएसटी संग्रहण में वर्तमान वर्ष में तेज उछाल देखा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में फरवरी, 2023 तक औसत मासिक जीएसटी संग्रहण 1.49 लाख करोड़ रु. है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 1.21 लाख करोड़ रु. था। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 23% अधिक है।

राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान "राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना" के तहत राज्यों को क्रमशः 11,830.29 करोड़ रुपये और 14185.78 करोड़ रुपये का पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण जारी किया गया था। इसके अलावा, "राज्यों के लिए वर्ष 2022-23 हेतु पूंजीगत व्यय विशेष सहायता योजना" के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान (22.03.2023 तक) अब तक राज्यों को 89,267 करोड़ रुपये की पूंजी परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं और 66,015 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। यह राशि सामान्य शुद्ध उधार सीमा से अधिक है।

पंद्रहवें वित्त आयोग (15वें वित्त आयोग) ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए सत्रह राज्यों के लिए 2,94,514 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 में राज्यों को 1,18,452 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया था और मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 में 86,201 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

***